SHIKSHA SAMVAD
International Open Access Peer-Reviewed & Refereed
Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
Volume-1, Issue-4, June- 2024
www.shikshasamvad.com

"स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात स्त्रियों की शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन"

शाईस्ता अन्जुम
शोधार्थिनी
श्रीवेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय,
गजरौला, अमरोहा

डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह
शोध निर्देशक
श्रीवेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय,
गजरौला, अमरोहा

साराँश

शिक्षा मानव विकास का सशक्त माध्यम है। बिना शिक्षा के मानव का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को उचित अनुचित में अन्तर करने के योग्य बनाती है, उसको समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में समर्थ बनाती है, उसमें उत्तम प्रवृत्तियों को विकसित करती है तथा उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा व्यक्ति, समाज राष्ट्र एवं शिष्य के विकास की आधारशिला है। इसी कारण बालक, बालिकाओं की शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में यह विचारधारा तेजी से पनप रही है कि बालकों के समान बालिकाओं को भी समान शैक्षिक सुविधायें एवं अवसर प्रदान किये जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के विकास में पुरूषों के समान स्त्रियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के सिलसिले में जुलाई 1980 में **कोपेहेगन** में हुए विश्व सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की व्यस्क आबादी का करीब **50 प्रतिशत** महिलाओं का है। दुनिया की अधिकारिक श्रम शक्ति में महिलाओं का हिस्सा **एक तिहाई** के बराबर है। लेकिन जहाँ तक काम के कुल घण्टों का सवाल है इनमें से **दो तिहाई** महिलाओं के हिस्से में आते है, जबकि दुनिया की कुल आमदनी में से सिर्फ **दसवां** हिस्सा ही मिल पाता है। दुनिया में कुल सम्पत्ति में से **एक प्रतिशत** से भी कम की मालिक महिलाएं है। भारत में भी स्थिति इससे अलगग नहीं है। संविधान

में महिलाओं को विशेष दर्जा और विकासात्मक योजना निर्माण प्रक्रिया के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालली अधिकतर महिलाओं की स्थिति में कोई बड़ा गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक **"इण्डिया इकोनामिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल अपार्च्युनिटी"** में कहा है कि महिला सशक्तीकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरूषों और बच्चां को भी इससे लाभ होगा। उदाहरण स्वरूप महिलाओं की शिक्षा से लड़के और लड़कियों दोनों ही बाल मृत्यु दर में कमी आती है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षा समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा के द्वारा महिलाओं में आत्म जागरूकता, आत्म विश्वास, आत्म सम्मान जैसी भावनायें विकसित होती है। महिला शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में 1963 में वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुए **श्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू** ने कहा था कि "लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।" हाब हाउस ने अपनी पुस्तक **"मारल्स इन इवोल्यून"** में इंगित किया है कि "स्त्रियों की शिक्षा और समाज में उनकी स्थिति समाज की प्रगति का असंदिग्ध सूचक है।"

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पर विचार करने के लिए गठित **राष्ट्रीय समिति** ने अपनी रिपोर्ट में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए लिखा है कि "किसी भी मानव समाज में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और कोई भी कौम इसे नजरअन्दाज नहीं कर सकती। स्त्रियाँ राष्ट्र के विकास के लिए उतना ही महत्व रखती है जितना उस देश के खनिज पदार्थ वहां की नदियां और खेती–बाड़ी। स्त्रियों की शक्ति का समुचित उपायेग करने, उनका सही नियंत्रण करने पर साथ ही आदर का बरताव करने पर वे एसी महान और प्रबल शक्ति का रूप धर लेती है कि जिसका राष्ट्र के हित और विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्त्रियों और सामाजिक प्रथाओं और परम्पराओं के प्रतिबंध होने के कारण उन्हें समाज का एक विफल अंग माना जा सकता है। अतः इस वर्ग को सहायता पहुंचाने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वह राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण और समुचित भूमिका निभा सकें।"

विश्वविद्यालय शिक्षा आयो (1948) के ऐतिहासिक शब्द ध्यान देने योग्य है कि "शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरूष हो ही नही सकता। यदि पुरूषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि तब वह शिक्षा स्वयमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।"

मनुस्मृति में कहा गया है कि ''उपाध्याय (उपनयन संस्कार के समय गायत्री मन्त्र देने वालें) से दस गुनी अधिक महत्ता आचार्य की है (क्योंकि वह विद्यालय देता है) सौ आचार्यो के समान महत्ता पिता की है और हजार पिताओं से बढ़कर महत्ता मां की है।'' **महर्षि कर्वे** ने कहा है कि ''राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए तमाम नारियां शिक्षित होनी चाहिए।'' वर्तमान युग में स्त्री शिक्षा का महत्व बढ़ गया है क्योंकि शिक्षित स्त्री ही जनतंत्र की सफलता ने समाज के विकास, परिवार की समृद्धि तथा स्वयं के विकास में सक्षम सिद्ध हो सकती है।

स्वतंत्रता पूर्व स्त्री शिक्षा का विकास वैदिक काल वैदिक कालीन भारत में स्त्रियों को पुरूषों के समान ही शिक्षा दी जाती थी इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि सब लड़कियों और लड़कों के लिए नियत समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की व्यवस्था करें।

उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा के प्रति इस दृष्टिकोण में अन्तर आ गया, स्त्रियों का समाज में स्थान पुरूषों के बराबर नहीं रहा, निम्न हो गया। उनकी शिक्षा भी उपेक्षित हो गयी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की प्रस्तावना में तत्कालीन अध्यक्षा पूर्णिमा आडवाणी ने लिखा है कि आठवीं शताब्दी के आस पास विदेशी हमलों के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनमें असुरक्षा की भावना भर गई वे घर की चारदीवारी में कैद हो गई। इससे उनमें अशिक्षा व्याप्त हो गई और वे पुरूषों से न केवल पिछड़ गई, बल्कि हीन भावना में भी ग्रस्त हो गई।

मध्यकाल सुविधा सम्पन्न समाज के उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए थोड़ी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही होती रही।

अंग्रेजी शासन काल ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में शिक्षा उपेक्षित रही, जो कुछ प्रयास भी किए गए थे वे लड़कों की शिक्षा के लिए किए गए। स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि कम्पनी को अपने शासन प्रबंध के लिए शिक्षित युवक चाहिए थे न कि युवतियां। **श्री एडमस** ने उस समय की स्त्री शिक्षा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ''समस्त स्थापित शिक्षण संस्थाएँ पुरूषों के लाभार्थ है। समस्त महिला जगत अज्ञानता के अन्धकार में भटक रहा है।''

मिशनरी तथा अन्य विद्यालय – 1813 में आज्ञा पत्र में स्त्री शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया। स्त्री शिक्षा की दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया। 1820 में **डेविड हेयर** ने स्त्री शिक्षा का सबसे पहला विद्यालय कलकत्ता में स्थापित किया। बंगाल की

शिक्षा परिषद के प्रधान **जे०ई०डी० बेथ्यून** ने 1849 में अपनी निजी सम्पत्ति से एक बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। यह ईसाई मिशनरियों से भिन्न धर्म निरपेक्ष विद्यालय था। राजा राम मोहन राय ने भी स्त्री शिक्षा का प्रसार किया पर इन प्रयासों का लाभ एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रहा। 1882 तक स्त्री शिक्षा की विशेष उन्नति नहीं हो सकी।

वूड का घोषणा पत्र (1854) इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जाएं और स्त्री शिक्षा प्रसार के व्यक्तित्व प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए। परिणाम स्वरूप अनेक स्थानों पर बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। 1870 में इंग्लैण्ड की समाज सेविका **कु० मेरी कारपेन्टर** भारत आई और उनके प्रयत्नों से स्त्री शिक्ष के आन्दोलन को और बल मिला।

हण्टर कमीशन (1882) आयोग ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा ''मानव संसाधनों के सम्पूर्ण विकास के लिए परिवार के सुधार के लिए तथा शैश्वावस्था के अत्यन्त संवेदनशील वर्षो के दौरान बच्चों के चरित्र को गढ़ने के लिए स्त्रियों की शिक्षा तो पुरूषों की शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है।'' इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए मुख्य रूप से चार सुझाव दिए :–

1. 12 वर्ष की आयु से ऊपर की बालिकाओं की शिक्षा शुल्क में कमी की जाए और योग्य छात्राओं को शिक्षावृत्तियां दी जाए।
2. बालिका विद्यालयों के लिए अनुदान देने की शर्ते सरल बनाए जाए।
3. इन विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जायें।
4. विधवा महिलाओं को शिक्षिका बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

भारत की जनता की शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति उपेक्षापूर्ण थी परिणामस्वरूप इन सिफारिशों की क्रियान्वित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

श्रीमती एनीबेसेन्ट द्वारा 1904 में बनारस मे हिन्दू गर्ल्स स्कूल की स्थापना तथा **महर्षि कर्वे** द्वारा पूना में 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना स्त्री शिक्षा जगत की विशेष घटना है। 1916 ई० में **लेडी हार्डिग मेडिकल महाविद्यालय,** दिल्ली की स्थापना ने स्त्री शिक्षा के विकास में बहुत योगदान दिया।

सैंडलर कमीशन (1917) सैंडलर कमीशन ने एक ऐसी परिषद के निर्माण की सिफारिश की थी जो स्त्रियों के लिए उपयोगी विषयों को ध्यान में रखकर पृथक पाठ्यक्रम तैयार करें और उनके लिए चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। कमीशन से सह–शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया।

1922 से 1947 के बीच स्त्री शिक्षा का काफी विकास हुआ है इस अवधि में स्वाधीनता संग्राम की बागडोर मुख्य रूप से महात्मा गांधी के हाथ में रही। उन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन को जन आन्दोलन का रूप दिया तथा स्त्री शिक्षा के विकास के लिए भरसक प्रयास किये।

स्वाधीन भारत में स्त्री शिक्षा का विकास स्वाधीनता के बाद स्त्री शिक्षा का बहुत विकास हुआ। नारी का सामाजिक स्तर भी काफी ऊँचा उठा। इस सम्बन्ध में **नटराजन** ने लिखा है ''एक व्यक्ति जो सौ वर्ष पूर्व मर गया हो और वह पुनः दुनियाप में आये तो वह देखेगा कि नारी की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया है परन्तु यह विकास भी सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता था''।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे।

1. स्त्रियों को पुरूषों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान किया जायें।
2. स्त्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए।
3. स्त्रियों की शिक्षा में गृह अर्थशास्त्र और गृह प्रबंध की समुचित शिक्षा का प्रावधान हो।
4. सही अर्थो में सह–शिक्ष विद्यालय विकसित किये जाए।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958) भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षा **श्रीमति दुर्गा बाई देशमुख** थी अतः इसे **देशमुख समिति** भी कहते हैं। सन् 1959 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख सुझाव निम्न थे –

1. लड़कियों की शिक्षा को विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करते हुए आने वाले वर्षो में उचित धन की व्यवस्था की जाए।
2. केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की जाए और सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट इकाईयां बनायी जाए।
3. प्रत्येक राज में ''**राज्य महिला परिषद**'' हो और लड़कियों की शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय हो।

राष्ट्रीय महिला परिषद – इस परिषद की स्थापना राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर की गयी। इस परिषद को निम्न कार्य सौंपे गये।

1. विद्यालय स्तर की लड़कियों तथा प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा की समस्याओं पर सरकार को सुझाव देना।

2. उक्त क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के प्रसार और सुधार की नीतियों, कार्यक्रमों आवश्यकताओं आदि के बारे में सुझाव देना।
3. उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों के अधिकाधिक उपयोग के उपाए सुझाना।
4. स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनत जागृत करना।
5. किये गये कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा भावी प्रगति की योजना बनाना।
6. स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर अनुसंधान करना, सर्वेक्षण करना, सेमिनार करना या आवश्यकता होने पर समितियों का गठन करना।

हंसा मेहता समिति (1962) – इस परिषद के द्वारा लड़के लड़कियों के पृथक पाठव क्रम की आवश्यकता एवं सम्भावना पर विचार हेतु **श्रीमति हंसा मेहता** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने सुझाव दिया कि लड़के लड़कियों के लिए पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यक नहीं है तथा पाठ्यक्रम निर्माण के व्यवहारिक आधार अपनाने होंगे।

यातना व शोषण का शिकार हो रही महिलाओं के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 18 दिसम्बर 1979 को **यू०एन०ओ०** की महासभा द्वारा ''महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति'' सम्बन्धी अभिसमय को स्वीकार करके किया गया। यह महिला अधिकारों का विलय पत्र भी माना जाता है। इसमें वर्णित कुल 30 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेदों को भारत सरकार ने अपने यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषायी व राजनैतिक स्थितियों के मद्देनजर स्वीकार किया। इसको व्यवहार में क्रियान्वयन हेतु अनेक संवैधानिक व विधिसम्मत उपाए किये जा रहे हैं।

भक्तवत्सल्य समिति (1963) इस समिति का उद्देश्य स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रगति के साधनों का पता लगाना और जन सहयो प्राप्त करने के उपाए सुझाना था। इस समिति की प्रमुख सिफारिश निम्न थी :–

1. प्राथमिक स्तर पर सह–शिक्षा को लोकप्रिय बनाए जाए।
2. स्त्रियों को अध्यापन व्यवसाय की ओर आकृष्ट किया जाए।
3. लड़कियों की शिक्षा के प्रति समाज की पारम्परिक मान्यतायें समाप्त की जाए।
4. निर्धन छात्राओं को विद्यालय की यूनीफॉर्म और पाठ्य पुस्तक आदि भी दी जाए।
5. जिन राज्यों में स्त्री शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई उन्हें केन्द्र सरकार निम्न कार्यो के लिए शतप्रतिशत सहायता दें।

प्राथमिक स्तर पर

1. शिक्षिकाओं की तैनाती

2. पुस्तक, लेखन सामग्री, वस्त्र आदि के लिए अनुदान।

माध्यमिक स्तर पर

1. लड़कियों के लिए युवक विद्यालय व छात्रावास
2. अधिक संख्या में शिक्षिकाओं की तैनाती
3. पुस्तक, लेखन सामग्री, वस्त्र आदि हेतु अनुदान

शिक्षा आयोग (1964–66) –

1. स्त्रियों और पुरूषों की शिक्षा की असमानता यथाशीघ्र समाप्त की जाए।
2. स्त्री शिक्षा प्रसार हेतु उदार आर्थिक सहायता दी जाए।
3. स्त्री शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रम को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया जाए।
4. स्त्रियों के लिए अंशकालीन रोजगारों की विशेष व्यवस्था हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में महिलाओं की समानता के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये ।

1. लड़कियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा का समयबद्ध व चरणबद्ध कार्यक्रम।
2. 1995 तक 15–35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक समयबद्ध व चरणबद्ध कार्यक्रम।
3. व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा विद्यमान और उभरती प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना।

आज प्रतिस्पर्धा के युग में शिक्षा ही वह सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है जो स्त्री की स्थिति में सुधार लाकर उसे समाज की प्रगति के प्रतिभागी के रूप में प्रतिस्थापित कर सकती है। महिला सशक्तीकरण में भी शिक्षा की भूमिका अद्वितीय है। सशक्तीकरण से तात्पर्य स्त्री के आत्म विश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास, सामाजिक परिवर्तन में पुरूषों के समान भागीदारी और इन सभी के साथ –साथ आर्थिक आत्म निर्भरता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और कानूनों के माध्यम से शिक्षा के लिंग सम्बन्धी असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। 1971 में **स्व० इन्दिरा गांधी** के शासन काल में पहली बार ''**स्टेटस आफ वुमैन कमेटी**'' का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्राप्त करना मूल अधिकार माना गया। 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया।

स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात् अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों और नारी अधिकारों के संरक्षण के प्रयासों के कारण महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार के साथ–साथ उनकी सामाजिक आर्थिक

व राजनीतिक स्थिति में भी गुणात्मक सुधार हुआ है। वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में जो भी सुधार देखने को मिलता है, स्त्री शिक्षा के कारण ही सम्भव हुआ है। अतः आज स्त्री शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा महिला समाख्या योजना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, कस्तूरबा गांधी योजना 1993, बालिका समृद्धि योजना 1997 आदि प्रावधान महिलाओं की समानता हेतु किये गये है।

वर्तमान समय में निःसन्देह महिला शिक्षा की दशा व दिशा में सुधार आया है परन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी योजनाएँ महिला शिक्षा के उत्थान की चल रही है वे पूरी सदृश्यता के साथ लागू हो और महिलाओं को प्रभावी रूप से शिक्षित कर देश के विकास हेतु उनकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित की जा सकें।

संदर्भ :

1. Safaya, Dr. Raghunath (2010), Current Problems of Indian Education, Dhanpat Rai & Sons, Delhi.
2. Rawat P.L. (2000). 'History of Indian Education', Ram Prasad & Sons, Agra.
3. पाठक, जौहरी (2001) ''भारतीय शिक्षा का इतिहास'' विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
4. चौबे, एस०पी० (2010) तुलनात्मक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
5. पाठक, पी०डी० (2012), 'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
6. आहूजा, आर (2016), 'सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली।
7. अग्निहोत्री, आर (2016), आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्यायें और समाधान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
8. भटनागर एस, कुमार एस (2019) 'भारत में शिक्षा का विकास' आर लाल बुक डिपो।

SHIKSHA SAMVAD

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal
ISSN: 2584-0983 (Online) Impact-Factor, RPRI-3.87
Volume-01, Issue-04, June- 2024
www.shikshasamvad.com
Certificate Number-June-2024/22

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

शाईस्ता अन्जुम एवं डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह

For publication of research paper title

"स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात स्त्रियों की शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन"

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-01, Issue-04, Month June, Year- 2024, Impact-Factor, RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.shikshasamvad.com